हम पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर हैं 60 प्रतिशत चीनी कारखाने सहकारी क्षेत्र में हैं। ऐसी स्थिति में उचित मूल्यों पर आवश्यक मात्रा में इथेनोल की उपलब्धता पूर्णतया राज्य सरकारों पर निर्भर करेगी जिन्हें ज्यादा सक्रिय होकर तथा राज्य स्तर पर गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करना तथा बुआई के मौसम में इस प्रयोजनार्थ पहले से ही पानी की उपलब्धता का भी आश्वासन देना चाहिए ताकि इथिनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को जारी रखने के लिए इथिनोल उत्पादकों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके।

यह हम ईमानदारी से कर रहे हैं। हम कार्यक्रम को जारी रखना चाहते हैं। यदि यह तकनीकी रूप से 5 प्रतिशत से भी ज्यादा मिश्रण तकनीकी रूप से संभव हो लेकिन अमेरिका या किसी अन्य देश का उदाहरण देने की कोई बात नहीं हैं हमें वास्तविक स्थितियों पर भी ध्यान देना होगा तथा वास्तविक स्थिति यह है कि जब मेरे मित्र, आपने वर्ष 2001 में यह निर्णय लिया था तो आपने न तो ए.पी.एम. को रद्द करने के मामले में और न ही इस मामले में इस वस्तु स्थिति की ओर ध्यान दिया कि इसके उत्पादन में एक बूंद की कमी भी नहीं होगी। इसलिए ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जो बाजार में असामान्य तेजी की अवस्था में लिया गया हो, बाजार की इस असामान्य तेजी को सामान्य स्थिति मानना तथा फिर अत्यधिक कमी की स्थिति को हमारे ऊपर डालना तथा यह कहें कि हम इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं।

वाजिब निर्णय लेने के लिए इस देश की स्थिति की सही समझ होनी चाहिए। इस देश की स्थिति की सही समझ की कमी का परिणाम भारत उदय रहा था। संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार ही इस देश की सही प्रकृति को समझती है। इसलिए, हमारे निर्णय वास्तविक स्थितियों पर आधारित हैं।

अपराह्न 3.57 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित*

(एक) सरकारी प्रतिभूति विधेयक*, 2004

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं सरकारी, प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके प्रबंध से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों से संबंधित विधेयक को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके प्रबंध से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं** विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 21.12.2004 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.58 बजे

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं तथा उनके द्वारा महत्वपूर्ण विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत

प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : संसद के पिछले सत्र के बाद, मुझे लंदन, न्यूयार्क, हेग और वियनशेन की अपनी यात्राओं के दौरान विश्व के कई नेताओं से बातचीत करने का मौका मिला है।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयार्क जाते हुए मैंने 19-20 सितम्बर को प्रधानमंत्री श्री ब्लेयर के आमंत्रण पर लंदन की यात्रा की। बातचीत करने के बाद हमने "भारत-ब्रिटेन : एक नई और गतिशील भागीदारी की ओर" पर एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया। इस घोषणा-पत्र में विदेश तथा रक्षा नीति में हमारी भागीदारी को सुदृढ़ करने, सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ लडाई लड़ने, आर्थिक संबंधों का विस्तार करने और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के संबंध में हमारे सामरिक महत्व के संबंधों में भावी सहयोग के क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है। प्रधानमंत्री श्री ब्लेयर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिटेन का समर्थन दोहराया।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[डा. मनमोहन सिंह]

अपराह्न 4.00 बजे

ब्रिटेन, जो कि हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक भागीदारों में से एक है, के साथ हमारे संबंधों पर सन् 2005 में उस समय विशेष बल दिया जाएगा जब ब्रिटेन जी-8 का अध्यक्ष पद संभालेगा। यह सन् 2005 के उत्तरार्ध में जब हमें भारत- यूरोपीय संघ की छठी शिखर बैठक नई दिल्ली में होने की आशा है, यूरोपीय संघ की अध्यक्षता भी करेगा।

मैंने 23 सितम्बर, 2004 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। मेरे संबोधन में ये मुख्य विषय शामिल थे : विश्व के समक्ष चुनौतियों का वैश्विक तथा पार-राष्ट्रीय स्वरूप, आम-सहमति पर आधारित व्यापक प्रतिक्रिया की जरूरत और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई को दृढ़ता तथा विश्वसनीयता प्रदान करने की आवश्यकता। मैंने बहुपक्षवाद और इसके मूर्त रूप- संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, समय के साथ प्रासंगिक बने रहने की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ को स्वयं में बदलाव लाने के लिए सुधारों की जरूरत पर बल दिया। मैंने उन कारणों पर प्रकाश डाला कि हम ऐसा क्यों समझते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य होना चाहिए।

इस संदर्भ में, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान, जिसे अब ''चार उम्मीदवारों का समूह'' कहा जाता है, के नेताओं की शिखर बैठक 21 सितम्बर, 2004 को न्यूयार्क में हुई थी। यह सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे को समर्थन देने हेतु परस्पर समझ-बूझ के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की सुधार प्रक्रिया में भाग लेने की हमारी मंशा की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति थी। हमने सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की जरूरत पर भी प्रकाश डाला ताकि इसे ज्यादा प्रतिनिधित्व-सम्पन्न और प्रभावी बनाया जा सके।

न्यूयार्क में मैंने अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की थीं।

राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश के साथ हुई मेरी बैठक भारत-अमेरिका के बीच सामरिक भागीदारी को आगे बढ़ाने हेतु दिशा तय करने में काफी सकारात्मक रही। हमने सामरिक भागीदारी में अगले कदम के चरण-1 के हाल के कार्यान्वयन का स्वागत किया। हम आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए। हमने आतंकवाद और व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर कार्य करने के महत्व को भी समझा है।

राष्ट्रपति मुशर्रफ के साथ हुई बैठक के दौरान मैंने पाकिस्तान के साथ सुव्यवस्थित तरीके से और सतत् आधार पर बातचीत जारी रखने की हमारी वास्तविक इच्छा से उन्हें अवगत कराया। मैंने राष्ट्रपति मुशर्रफ को उनके 6 जनवरी, 2004 के उस आश्वासन को पूरा करने की गंभीरता पर भी बल दिया कि पाकिस्तान के नियंत्रण वाले किसी भी भूभाग का किसी भी तरह के आतंकवाद को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

हमारी इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत के तहत सभी तरह के विश्वास बढ़ाने वाले उपाय लागू किए जाने चाहिए। यह व्यावहारिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए क्योंकि इनसे विश्वास और आपसी समझ-बूझ का माहौल बनाने में मदद मिलेगी जोकि दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए बहुत जरूरी है।

हमने जम्मू व कश्मीर सहित द्विपक्षीय मसलों पर भी चर्चा की। हमारी इस बात पर सहमति हुई कि जम्मू व कश्मीर के मसले का शांतिपूर्वक और बातचीत द्वारा हल ढूंढने के लिए संभव विकल्पों का सच्ची भावना और उद्देश्यपूर्ण तरीके से पता लगाया जाना चाहिए। मैंने राष्ट्रपति मुशर्रफ को यह स्पष्ट कर दिया कि हालांकि हम विभिन्न विकल्प तलाशने के लिए तैयार हैं किन्तु हम सीमाओं के किसी पुनर्निर्धारण या देश के एक और विभाजन के लिए सहमत नहीं होंगे।

द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों के सन्दर्भ में, पाकिस्तान के रास्ते भारत आने वाली गैस पाइप लाईन की संभावना पर भी चर्चा हुई। हम महसूस करते हैं कि इस तरह की परियोजना से दोनों देशों को काफी लाभ होगा।

मैंने 23 नवम्बर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री शौकत अजीज जिन्होंने ''सार्क'' के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में भारत का दौरा किया था, के साथ इन्हीं बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।

हम दोनों देशों के लोगों से मिले समर्थन के आधार पर और अपने बुनियादी राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना अविश्वास और आतंक से मुक्त माहौल में पाकिस्तान के साथ सहयोग और बातचीत जारी रखना चाहते हैं। विभिन्न विषयों पर तकनीकी स्तर की बैठकें चल रही हैं। दोनों देशों के विदेश सचिव अगले दौर की संयुक्त बातचीत शुरू करने के लिए 27-28 दिसंबर, 2004 को मुलाकात करेंगी।

भारत-यूरोपीय संघ की 5वीं शिखर बैठक 8 नवंबर, 2004 को

हेग में हुई थी। यह शिखर बैठक एक युगान्तरकारी घटना है क्योंकि इससे भारत-यूरोपीय संघ की सामरिक भागीदारी की शुरूआत हुई है। यह भागीदारी प्रमुख क्षेत्रीय और विश्व में प्रभावशाली देश के रूप में भारत के बढ़ते कद का सबूत है। भारत और यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार तथा प्रमुख बहुपक्षीय सम्मेलनों, निरस्त्रीकरण और परमाणु अस्त्र अप्रसार सहित कई मुद्दों पर परामर्श तेज करने तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत बनाने पर सहमत हुए। हमारे आर्थिक सहयोग के संबंध में हम अपने व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के उपाय ढूढ़ने पर भी सहमत हुए। विशेष रूचि वाले दो प्रस्ताव थे- ऊर्जा मामलों में सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक ऊर्जा पैनल और एक पर्यावरण मंच के गठन का निर्णय।

यूरोपीय संघ और भारत विभिन्न क्षेत्रों में हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रगाढ़ बनाने के लिए अगले कुछ महीनों में कार्रवाई हेतु एक संयुक्त एजेण्डा तैयार करेंगे। हम आशा करते हैं कि इस संयुक्त एजेण्डा को अगले वर्ष नई दिल्ली में होने वाली भारत-यूरोपीय संघ की छठी शिखर बैठक में अनुमोदित किया जाएगा।

मैंने तीसरी भारत-आसियान शिखर बैठक, जो 30 नवंबर, 2004 को हुई थी, में भाग लेने के लिए वियनशेन, लाओ पीडीआर का दौरा किया। आसियान के साथ हमारे संबंधों से हमारी "पूर्वोन्मुख" नीति की एक महत्वपूर्ण आधार-शिला तैयार हुई है। इस शिखर बैठक में आसियान नेताओं तथा मैंने "शांति, प्रगति तथा परस्पर समृद्धि के लिए भारत-आसियान सहभागिता" नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस सहभागिता दस्तावेज में विभिन्न क्षेत्रों में भारत-आसियान सहयोग का एक अल्प-मध्यम कालीन खाका प्रस्तुत किया गया है।

इस तीसरी भारत-आसियान शिखर बैठक ने हमें पिछले दो वर्षों में भारत-आसियान संबंधों में हुई प्रगति का जायजा लेने का अवसर प्रदान किया और इसने आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और औषधि तथा जन संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में और सहयोग बढ़ाने हेतु नई पहलों तथा उपायों पर विचार करने का भी मौका दिया। हमने वस्तुओं के संबंध में भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता संबंधी बातचीतों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की।

महोदय, भारत-आसियान सहयोग की संभावना केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानव संसाधन विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य तथा औषधि, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी तथा कृषि भी शामिल हैं।

इस शिखर बैठक के दौरान मैंने जापान, चीन, सिंगापुर, लाओ पीडीआर, वियतनाम, आस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया के नेताओं से भी मुलाकात की और परस्पर हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। चीन के प्रधानमंत्री के साथ हुई मेरी बातचीत में हमने सीमा के प्रश्न पर हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो दौर की बातचीत में हुई प्रगति की समीक्षा की और यह सहमति जताई कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के साथ ये बातचीत आगे जारी रहेगी।

हाल ही में हमने नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण नेताओं का स्वागत भी किया है। मैं माननीय सदस्यों को उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा।

रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन की 3-4 दिसम्बर की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इससे हमारी सामरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण पहलुओं को काफी गति मिली है। हमारी बातचीत परंपरागत विश्वास और परस्पर भरोसे के माहौल में हुई।

ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर विशेष बल दिया गया; हमने पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग हेतु 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। हमने रशियन सैटेलाइट नेवीगेशन सिस्टम "ग्लोनास" सहित अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित दो समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।

रक्षा उपस्करों और कल-पुर्जों की आपूर्ति के संबंध में भी उपयोगी बातचीत हुई और हमें स्पष्ट आश्वासन मिला कि कल-पुर्जों की आपूर्ति के संबंध में बार-बार उठने वाले मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।

इसके बदले में हम रूस को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) की सदस्यता हेतु समर्थन देने और रूस को एन्टी-डम्पिंग इन्वेस्टीगेशन के प्रयोजनार्थ एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने पर सहमत हुए, जिसे रूसी पक्ष बहुत महत्व देता है।

हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ काफी सार्थक संबंध भी बनाए रखे हैं और उनके नेताओं की आगवानी की है।

मैंने 25 नवम्बर को महामहिम भूटान नरेश से मुलाकात की और उनके साथ घनिष्ठ और परस्पर लाभकारी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। वे अगले वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने के लिए सहमत हो गए हैं।

श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा ने 3 से 7 नवम्बर, 2004 तक भारत का दौरा किया। शीघ्र व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता करके और विद्युत तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों

[डा. मनमोहन सिंह]

में ऋण तथा सहयोग के जरिए आर्थिक संबंधों के विस्तार सहित पारस्परिक हितों के विभिन्न द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी। राष्ट्रपति महोदया ने हमें श्रीलंका में शांति प्रक्रिया की स्थिति सहित आंतरिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी।

नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा 8 से 12 सितम्बर तक भारत के दौरे पर आए। इस दौरे से हमें नेपाल में घटी ताजा घटनाओं के साथ-साथ नेपाल की विभिन्न विकास परियोजनाओं में भारत की सहायता के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला। हमने नेपाली संविधान के दोहरे स्तंभों के रूप में बहुदलीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र को समर्थन देने की अपनी परंपरागत नीति पर बल दिया। हम नेपाल में सुरक्षा की स्थिति के संबंध में नेपाल के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। महामहिम नेपाल नरेश 23 दिसम्बर को भारत आएंगे।

म्यांमार की राष्ट्र शांति एवं विकास परिषद (स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल) के चेयरमैन, सीनियर जनरल श्री थेन श्वे 24 से 29 अक्तूबर, 2004 तक भारत के राजकीय दौरे पर आए। यह 24 वर्षों में म्यांमार के राष्ट्राध्यक्ष स्तर के नेता का पहला दौरा था। इस दौरे के दौरान गैर-परंपरागत सुरक्षा मुद्दों के क्षेत्र में सहयोग संबंधी एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उद्योग, ऊर्जा, ग्रामीण परिवहन, संचार तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर भी बातचीत हुई थी। हमने अवगत कराया कि हालांकि भारत म्यांमार के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है फिर भी, हम राष्ट्रीय सामंजस्य और सामूहिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुदलीय लोकतंत्र के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने का स्वागत करेंगे।

इस अवधि के दौरान, भारत के दौरे पर आने वाले अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर श्री गेरहार्ड श्रोएडर, कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रपति श्री रोह-मू-ह्यून, न्यूजीलैण्ड के प्रधानमंत्री राइट ऑन, हेलेन क्लार्क, मोरक्को के प्रधानमंत्री श्री द्रिस जेट्टू और स्लोवाक गणतंत्र के राष्ट्रपति शामिल हैं। इस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं।

हमारी सरकार को सत्ता सम्भाले अभी सात महीने हुए हैं। हमारा उद्देश्य विदेशों से संबंध बनाने और अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाते समय राष्ट्रीय हितों को केन्द्र में रखना है। हमने अपने हितों के प्रति सजग रहते हुए तथा अपने विकल्पों को खुला रखने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण पहलें की हैं। हमारे प्रयासों के फलस्वरूप भारत के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय माहौल को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिली है।

मुझे विश्वास है कि हमारे विदेशी वार्ताकार भारत के लिए महत्व रखने वाले मुद्दों पर हमारी स्थिति को बेहतर ढंग से समझते हैं। हम इस प्रयास को जारी रखेंगे।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए सदन के पटल पर निम्नलिखित दस्तावेज रख रहा हूं:

(1) भारत-ब्रिटेन: एक नई और गतिशील भागीदारी की ओर - एक संयुक्त घोषणा-पत्र।

(2) अमेरिका-भारत भागीदारी : सहयोग और विश्वास।

(3) भारत-पाकिस्तान संयुक्त वक्तव्य।

(4) भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान (जी- 4) द्वारा वक्तव्य।

(5) भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का संयुक्त प्रेस वक्तव्य।

(6) शान्ति, प्रगति और परस्पर समृद्धि के लिए आसियान-भारत की भागीदारी।

अपराह्न 4.14 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक पुरस्थापित - जारी

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक* 2004

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 23 पर आते हैं,

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक गृहस्थी को

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 21.12.2004 में प्रकाशित।